प्रेस नोट दिनाँक-04.03.2023

(1). जनसुनवाई पोर्टल पर जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु रिपोर्ट की समीक्षा शासन स्तर पर प्रतिदिन की जाती है। माह फरवरी 2023 में जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों एवं उनके गुणवत्तापरक निस्तारण के सम्बन्ध में की गयी समीक्षा में जनपद चित्रकूट पुलिस को उ0प्र0 के सभी 75 जिलों में से पुनः पांचवां स्थान प्रदान किया गया है।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी नोडल अधिकारी आईजीआरएस, क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय एवं निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार यादव प्रभारी आईजीआरएस द्वारा उच्चाधिकारियों से प्राप्त आदेशों-निर्देशों का पालन कराते हुये कड़ी मेहनत की गयी। माह में माननीय मुख्यमंत्री संदर्भ के 38, ऑनलाईन संदर्भ 02, जिलाधिकारी/जनसेवा केन्द्र/लोकवाणी संदर्भ 51, पी0जी0 पोर्टल के 15, संपूर्ण समाधान दिवस/थाना दिवस में 27, पुलिस अधीक्षक मुलाकाती संदर्भ 301, माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन संदर्भ 30, मण्डलायुक्त/आईजी/डीआईजी संदर्भ 14, कुल 478 संदर्भ प्राप्त हुये जिसमें से जनपद पुलिस द्वारा सभी संदर्भों का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया। आईजीआरएस शाखा में नियुक्त उ0नि0 श्री रविन्द्र कटियार, कम्प्यूटर ऑपरेटर जीशान अली, आरक्षी मानवेन्द्र सिंह एवं महिला आरक्षी अनीशा बानो ने तथा जनपद के समस्त थानों/क्षेत्राधिकारी कार्यालयों में आईजीआरएस पोर्टल का कार्य देख रहे पुलिस कर्मियों ने कड़ी मेहनत कर सभी संदर्भों की ऑनलाईन फीडिंग की गयी एवं प्राप्त संदर्भों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गयी जिस कारण से जनपद चित्रकूट को जनसुनवाई के मामलों में पांचवां स्थान प्राप्त हुआ है। सभी संदर्भों की ऑनलाईन फीडिंग एवं प्राप्त संदर्भों के निस्तारण में जनपद चित्रकूट का थाना कोतवाली कर्वी, थाना बहिलपुरवा, थाना मानिकपुर, थाना मारकुण्डी एवं थाना भरतकूप को प्रदेश में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है।

(2). आज दिनाँक-04.03.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु, क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक-04.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(4). आगामी होली त्यौहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दीपेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामाधार सिंह तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त भवानीदीन कोरी पुत्र स्व0 महावीर कोरी निवासी सलैया पुरवा मजरा कोलगदहिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 अदद रायफल 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री रामाधार सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. मुख्य आरक्षी फरीदुद्दीन
3. महिला संयोगिता चौहान

(5). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वाँछित व 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री विजय बहादुर थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 46/2023 धारा 380,354,324,506 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त बबली उर्फ कादर खान पुत्र जुम्मन निवासी चकमवईराधा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा से सम्बन्धित 820/- रूपये बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 46/2023 में धारा 411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री विजय बहादुर यादव
2. आरक्षी विवेक कुमार

(ii). उ0नि0 श्री कन्हैयाबक्श सिंह थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा मु0सं0 1942/20 धारा 498ए,323 भादवि0 व ¾ द0प्र0 एक्ट के वारण्टी अभियुक्त बच्चीलाल पुत्र चुनकू 2. लवकुश पुत्र श्याम सोनकर निवासीगण नादिन कुर्मियान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री कन्हैयाबक्श सिंह थाना राजापुर
2. उ0नि0 श्री काशीनाथ यादव
3. आरक्षी अजय वर्मा
4. आरक्षी उज्जनल पाण्डेय
5. आरक्षी धर्मेन्द्र सिंह

(iii). थानाध्यक्ष सरधुवा श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 19/23 धारा 376/506 भादवि0 व 4/3 पोस्को एक्ट के वांछित अभियुक्त विकाश यादव पुत्र हरीप्रसाद निवासी बरद्वारा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. थानाध्यक्ष सरधुवा श्री प्रवीण कुमार सिंह

2. आरक्षी बब्बूराजा
3. आरक्षी अमित सिंह

(6). आगामी होली त्यौहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवँ बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 07 अभियुक्तों के कब्जे से 50 लीटर कच्ची व 68 क्वार्टर देशी शराब, 03 अदद भट्टी एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद की।

(i). प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मऊ पुलिस टीम ने अभियुक्ता 1. मैकी देवी पत्नी रामआसरे निषाद निवासी बराछी थाना मऊ जनपद चित्रकूट 15 लीटर कच्ची शराब, शऱाब बनाने के उपकऱण व 01 अदद भट्टी के साथ तथा अभियुक्ता 2. धिरजिया पत्नी मूलचन्द्र निवासी बराछी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब, 01 अदद भट्टी व शराब बनाने के उपकरण के साथ तथा अभियुक्त दयाशंकर निषाद पुत्र श्रीपत निवासी बराछी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब महुआ निर्मित, 01 अदद भट्टी व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मऊ में धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना मऊ
2. उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्या
3. आरक्षी नागेश कुमार
4. आरक्षी जुबेर
5. आरक्षी राहुल कुमार
6. आरक्षी भरतलाल
7. महिला आरक्षी मनीषा बुनकर
8. महिला आरक्षी काजल सिंह

(ii). उ0नि0 श्री शौकत खां चौकी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त हनुमान पुत्र डब्बा निवासी तीर्थराजपुरी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 28 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री बल्देव सिंह थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्ता समरनाथ यादव पुत्र रामलखन यादव निवासी दराई थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 10 देशी कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियनम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iv). आरक्षी जलील अहमद थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा अवध बिहारी पुत्र ज्ञान सिंह निवासी नोनार थाना पहाड़ी तथा अभियुक्त शारदा पटेल पुत्र श्रीपाल निवासी ऐरानमाफी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 20-20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये।

(7). आज दिनाँक-04.03.2023 को श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनंद एवं पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला की अध्यक्षता में तहसील कर्वी सभागार में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। महोदय द्वारा आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण कराने हेतु निर्देश दिये गये, भूमि विवाद से सम्बन्धित सन्दर्भों में पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर निस्तारण कराने हेतु निर्देश दिये गये।

संपूर्ण समाधान दिवस में उपजिलाधिकारी कर्वी श्री राजबहादुर, क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पांडेय, प्रभागीय वनाधिकारी श्री पी के त्रिपाठी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ भूपेश द्विवेदी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री लव प्रकाश यादव, तहसीलदार कर्वी श्री राकेश कुमार पाठक, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्वी श्री लाल जी यादव, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दीपेन्द्र सिंह, थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री राम सिंह, थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सूबेदार बिन्द तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(8). आज दिनाँक-04.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में उपजिलाधिकारी मऊ श्री नवदीप शुक्ला एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय की उपस्थिति में तहसील मऊ सभागार में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। महोदय द्वारा आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण कराने हेतु निर्देश दिये गये, भूमि विवाद से सम्बन्धित सन्दर्भों में पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर निस्तारण कराने हेतु निर्देश दिये गये।

सम्पूर्ण समाधान दिवस में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्रच द्र पाण्डेय एवं पुलिस विभाग के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(9). ऑनलाइन ठगी के शिकार पीड़ितो के कुल 01 लाख 30 हजार रुपये साइबर सेल चित्रकूट द्वारा उनके बैंक खातों में कराये वापस

अपने खाते में वापस धनराशि पा पीड़ितों के खिले चेहरे

वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री विजय सिंह तथा उनकी टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये साइबर अपराध के 02 पीड़ितों के कुल 01 लाख 30 हजार रूपये अथक परिश्रम कर उनके खातों में वापस कराये गये।

(1). आवेदक श्री विवेक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हर्ष स्वरुप अग्रवाल निवासी पुरानी बाजार कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा शिकायत की गयी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके खाते से धोखाधड़ी करके 50,000/- रुपये निकाल लिया गया है।

(2). आवेदक राकेश कुमार पुत्र श्री भोंदू प्रसाद निवासी बरद्वारा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट द्वारा शिकायत की गयी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके खाते से के धोखाधड़ी करके 80,000/- रुपये निकाल लिया गया है।

साइबर सेल द्वारा अथक प्रयास करके उपरोक्त पांचों पीडितों को शत प्रतिशत रुपये बरामद कराया गया है।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया द्वारा साइबर सेल प्रभारी श्री विजय सिंह, आरक्षी सर्वेश कुमार, आरक्षी हरिशचन्द्र अहिरवार, आरक्षी प्रशांत यादव के द्वारा किये गये कार्य की प्रशंसा की गयी।

जनमानस से अपील की जाती है कि गूगल पर किसी भी कम्पनी या बैंक का कस्टमर केयर का नम्बर ढूढने में बेहद सावधानी बरते तथा प्राप्त नम्बरो पर पूरी तरह भरोसा न करे और अपनी व्यक्तिगत व बैंकिग सम्बन्धी जानकारी किसी से भी साझा न करे। एनीडेस्क, टीम व्यूअर आदि रिमोट एक्सेस साफ्टवेयर का प्रयोग बेहद सावधानीपूर्वक करे, इससे साइबर अपराधियों द्वारा आपके खाते तक पहुंचकर आपके साथ आर्थिक रूप से धोखाधड़ी कर धनराशि निकाली जा सकती है। फोन पर कभी भी किसी प्रकार के लुभावने ऑफर प्राप्त करने हेतु कभी किसी को अपने बैंक, खाता, एटीएम न0, ओटीपी सम्बन्धी जानकारी न शेयर करे। किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा यदि फोन पर पैसे भेजने की बात कहे तो सोच समझ कर ही लेन-देन करें व किसी भी अनजान लिंक/ वेबसाइट आदि को न ओपन करे, इससे आपको वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से खरीददारी हेतु पूर्व भुगतान करते समय बेहद सावधानी बरते। सम्भव हो तो विक्रेता से पर्सनल मिले बिना, लेन देन करने से बचे। अज्ञात कॉलर द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओ व कालोनी स्वीकृत किये जाने के नाम पर भी पैसो की मांग किये जाने पर ऐसे व्यक्तियो के खाते में पैसे जमा न करें तथा इसकी शिकायत निकटतम पुलिस थाने या राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नं0 1930 पर तुरंत क़ॉल करके करें या साईबर सेल की बेबसाइड www.cybercrime.gov.in पर भी कम्पलेंट कर सकते है।

जनपद के समस्त थानों पर भी साइबर हेल्प डेस्क बनाया गया है जिसमें पुलिसकर्मियों द्वारा साइबर फ्रॉड के पीड़ितों की मदद की जाती है।